

**राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रदान की जाने वाले छात्रवृत्ति का विवरण**

1. सामान्य छात्रवृत्ति : सामान्य छात्रवृत्ति के लिये समस्त वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को बी.पी.एल. छात्रवृत्ति गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची में सम्मिलित समस्त वर्ग (सभी जाति वर्ग) के प्रशिक्षणार्थियों को रू.300/- प्रतिमाह विभागीय बजट से भुगतान किया जाता है।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों के छात्रवृत्ति सहायक आयुक्त आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग द्वारा प्रदाय किये जाने के लिये उनके आय प्रमाण पत्र के आधार पर (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति-रू.2.5. लाख, अन्य पिछड़ा वर्ग (रू. 1.00 लाख) आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा गैर छात्रावासी को रू.230/- एवं छात्रावासी को रू.380/-छात्रवृत्ति प्रदान किये जावेंगे। छत्तीसगढ़ शासन कौशल विकास,तकनीकी शिक्षा, एवं रोजगार विभाग के आदेश क्रमांक- एफ 5-88/2013/ जन.नि./ 42 दिनांक 23.09.2013 के अनुसार विभागीय बजट से राशि रू.70/- प्रतिमाह पृथक से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
3. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रावासी प्रशिक्षणार्थियों को रू. 200/- प्रतिमाह भोजनवृत्ति पृथक से प्रदान की जाती है।
4. निःशक्त जन एवं अल्पसंख्यक प्रशिक्षणार्थियों के छात्रवृत्ति के प्रकरण समस्त प्रमाण पत्रों सहित छात्रवृत्ति समाज कल्याण विभाग द्वारा ।
5. भवन एवं संनिर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों के बच्चों को छात्रवृत्ति भुगतान एवं अन्य शुल्क की प्रतिपूर्ती छत्तीसगढ़ भवन संनिर्माण मण्डल द्वारा।
6. प्रवीण्य छात्रवृत्ति :- प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों के 4% छात्रों को प्रवीण्य छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिये माह नवम्बर के प्रथम सप्ताह में संस्था स्तर पर परीक्षा आयोजित कर प्रवीण्य छात्रवृत्ति ।